

विभाग के द्वारा

उपस्थित है

उद्योग मंत्रालय
औद्योगिक विकास विभाग

...

नई दिल्ली, दिनांक 10 जुलाई, 1989

अधिसूचना

का.आ.सं.ई. 12012/1/87-हिन्दी : केन्द्रीय सरकार,
राजभाषा सूचकेय के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग नियम 1976 के
नियम 10 के उप नियम 4 के अनुसरण में निम्नलिखित कार्यालयों को,
जिनके 80 प्रतिशत कर्मचारीवृन्द ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर
लिया है, अधिसूचित करती है :-

§क§ विस्फोटक विभाग, नागपुर

1. उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक का कार्यालय, उत्तरी अंचल, आगरा । ✓
2. उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक का कार्यालय, पूर्वी अंचल, कलकत्ता । ✓
3. उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक का कार्यालय, पश्चिमी अंचल, बम्बई । ✓
4. विस्फोटक नियंत्रक का कार्यालय, भोपाल ।
5. उप विस्फोटक नियंत्रक का कार्यालय, भंडारा ।
6. विस्फोटक नियंत्रक का कार्यालय, चण्डीगढ़ ।
7. विस्फोटक नियंत्रक का कार्यालय, जयपुर ।
8. उप विस्फोटक नियंत्रक का कार्यालय, गोमिया ।
9. विस्फोटक नियंत्रक का कार्यालय, हैदराबाद ।
10. विस्फोटक नियंत्रक का कार्यालय, हजारीबाग ।
11. विस्फोटक नियंत्रक का कार्यालय, राउरकेला ।

§ख§ खादी और ग्रामोद्योग आयोग, बम्बई ।

12. क्षेत्रीय कार्यालय, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, वाराणसी ।
13. राज्य कार्यालय, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, चण्डीगढ़ ।
14. क्षेत्रीय कार्यालय, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, हल्द्वानी ।

65. प्रोटोटाइप विकास तथा प्रशिक्षण केन्द्र, ओखला, नई दिल्ली।

राजकोट

66. शाखा कार्यालय, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, राजकोट।

68. शाखा कार्यालय, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, कानपुर।


69. शाखा कार्यालय, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, भोपाल।

70. शाखा कार्यालय, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, राजकोट।

71. निर्माण कार्य प्रभाग, मैनी।

72. प्रोटोटाइप विकास तथा प्रशिक्षण उप केन्द्र, अलीगढ़।

73. प्रोटोटाइप विकास तथा प्रशिक्षण उप केन्द्र, झांशीपुर।



रवीन्द्र कुमार सिन्हा
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

प्रबन्धक,
भारत सरकार मुख्यालय,
रिंग रोड, मायापुरी,
नई दिल्ली

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित :-

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग।
2. सभी सम्बन्धित कार्यालय।
3. राजभाषा विभाग, लोकनायक भवन, नई दिल्ली।